~~118~~ (1) 15/6/13

आदेश-पत्रक

(देखें भिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्र —ता० .... से .... तक

जिला .... सं० .... सन् १९ ....

केस का प्रकार दा० खा० वाद सं० - 2964/2 | 12-13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित ३
[illegible]/3/13	आवेदकगण (1) श्री [illegible] कुमार पिता स्व० [illegible] (2) श्री विनोद कुमार (3) श्री अनिल कुमार (4) श्री सुनील कुमार सभी साकिन [illegible] [illegible] [illegible] के समक्ष निम्नांकित भूमि पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन-पत्र दाखिल किये हैं।	
	जमीन का विवरण	
	मौजा - खाता सं० - खेसरा सं० - [illegible] - रकबा -	लगान
[illegible]-1	[illegible] - 41 - 42 - 1213 / 17 - 1214 - 13.11 डी० या 4 [illegible] 5 [illegible]	- 0.70
[illegible]-2	" - " - 42 - 1213 / 17 - 1214 - 13.11 डी० या 4 [illegible] 5 [illegible]	- 0.70
[illegible]-3	" - " - 42 - 1213 / 17 - 1214 - 13.11 डी० या 4 [illegible] 5 [illegible]	- 0.70
[illegible]-4	" - " - 42 - 1213 / 17 - 1214 - 13.11 डी० या 4 [illegible] 5 [illegible]	- 0.70
	कुल आवेदन-पत्र एवं कागजात [illegible] पर [illegible] कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है प्रतिवेदनानुसार नोटिस निर्गत करें। अगली तिथि 17/5/13 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी फुलवारीशरीफ, पटना	

[illegible] प्रेस, पटना।

अंचल अधिकारी
फुलवारी शरीफ

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी, तारीख-सहित
१	२	३
17/5/13	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। नोटिस [illegible] प्राप्त हुई। [illegible] गया है कि यह नोटिस से प्राप्त [illegible] का [illegible] [illegible] आवेदक [illegible] [illegible] प्रस्तुत करें। अभिलेख दिनांक 15/6/13 को पेश करें। अ० अ०	
15/6/13	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। [illegible] अभिलेख 04/7/13 को पेश करें। अ० अ०	
04/7/13	अभिलेख उपस्थापित किया गया। सभी पक्षों का नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी प्रकार आपत्ति दर्ज नहीं कराया गया है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। कागजातों के अवलोकन किया है कि आवेदक-पुत्र का जमाबन्दी आवेदक के [illegible] खतियानधारी [illegible] के नाम पर चल रही है। [illegible] का हेतु [illegible] है। आवेदक-पुत्र सभी वारिसों के बटवारा में प्राप्त हुआ है। जमीन [illegible] एवं आवेदक/आवेदिका के दखल कब्जा में है। [illegible] है। नोटिस उपरान्त [illegible] किया जा सकता है। अतः किसी प्रकार आपत्ति नहीं मिलने एवं [illegible] एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में आवेदक-पुत्र आवेदक/आवेदिका के नाम पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें। लेखापित अंचल अधिकारी फुलवारी शरीफ, पटना	

अंचल अधिकारी
फुलवारी शरीफ